न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

<u>पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.</u>

<u>पत्रावली संख्याः 15/2017/प्रार्थना–पत्र रिव्यु</u>

1. सिराजुद्दीन पुत्र हुसैन खां, जाति मुसलमान कच्छावा, निवासी–मोहल्ला जमींदारान, वार्ड नम्बर–2, तहसील व जिला सीकर (राज.)।

प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. आयुक्त, नगरपरिषद, सीकर।
2. सभापति, नगरपरिषद, सीकर।
3. मोहम्मद रमजान रंगरेज पुत्र अब्दुल गनी रंगरेज जाति मुसलमान निवासी बद्रीनारायण सोढ़ानी हौम्योपेथिक अस्पताल के पीछे, तहसील व जिला सीकर।

अप्रार्थीगण

<u>उपस्थित :–</u>

1. श्री सत्यनारायण सिकरिया एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।

सत्यमेव जयते

<u>प्रा. पत्र(रिव्यु) आदेश दिनांक 12.04.2012</u>

Web Copy Not Official

निर्णय

दिनांकः 21 दिसम्बर, 2017

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पुनर्वालोकन के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि इस न्यायालय का प्रकरण संख्या 42/2006 अपील, निर्णय दिनांक 12.04.2012 जिसके अन्तिम पृष्ठ पर दो खण्डों में अपीलान्ट पर दोषारोपण करते हुए अपील खारिज की गयी, जिन्हें क्रमवत, यथावत, प्रस्तुत कर इसका निराकरण दस्तावेजी, प्रमाण अकाट्य रूप से प्रस्तुत किया गया है।

   निर्णय दिनांक 12.04.2012 अन्तिम पृष्ठ पर विवरण यथा :–

   ''अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक का मुख्य कथन था कि उसने प्रश्नगत भू खण्ड को 12 व 13.11.1981 को जरिये अनुबन्ध पत्र ओमप्रकाश से क्रय किया था व उक्त ओमप्रकाश ने मुख्तयार–आम (बालूराम पुत्र भूराराम मीणा) हनुमान प्रसाद पुत्र मालाराम खटीक से क्रय किया था, तब से उक्त भूखण्ड पर अपीलान्ट का कब्जा

चला आ रहा है, लेकिन अपीलान्ट ने इस कथन को किसी सारगर्भित दस्तावेज से प्रमाणित नहीं किया है। अपीलान्ट ने मात्र हनुमान प्रसाद पुत्र मालाराम खटीक के एक **शपथ पत्र** की फोटो स्टेट प्रति पेश की, जिसमे अंकित किया गया है कि मैंने दिनांक 12.11.1981 से पूर्व ओमप्रकाश पुत्र बेगाराम जाति सैनी निवासी झाझड़ जिला झुन्झुनूं को आवासीय भूखण्ड संख्या 17 व 18 को विक्रित किये थे, लेकिन ओमप्रकाश के पास उस समय विक्रय अनुबन्ध पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है।''

उपरोक्त कथन का विवेचन करने पर कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट की परिधि में आता है क्योंकि न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) क्रम संख्या– 2 सीकर ने इस शपथ पत्र पर अपना निर्णय दिनांक 02.04.2004 को दिया है। यह निर्णय फैयाज के आवेदन आदेश–11 नियम 12 जाब्ता दीवानी बाबत तलब करने असल दस्तावेज विक्रय अनुबन्ध पत्र बहक ओम प्रकाश सैनी जिसका जवाब, अपीलान्ट सिराजूदीन ने दिनांक 02.04.2004 को दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि हनुमान प्रसाद पी. डब्ल्यु. 5 द्वारा ओमप्रकाश पी. डब्ल्यु. 4 के पक्ष में विक्रय अनुबन्ध पत्र को निष्पादन करने का सशपथ कथन किया है, ''फलस्वरूप प्रदर्श–,3, शपथ पत्र मंगाये जाने विक्रय अनुबन्ध पत्र का सब्जीक्युट है तथा उसका स्थानापन्न है।'' जिसकी सत्य प्रति संलग्न है। अपीलान्ट के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 02.04.2004 को दिया और फैयाज का आवेदन खारिज कर दिया गया। इस समी दस्तावेजात (आवेदन, जवाब–आवेदन, निर्णय) से प्रमाणित है कि प्रदर्श–3 शपथ पत्र जिसका परीक्षण होकर दस्तावेज अनुबन्ध के रूप में मान्य किया गया, जिसकी कोई अपील, रिवीजन कहीं पर भी नहीं की गई, जिससे यह अन्तिम हो चुका है, जिस पर कोई विवाद, विचारण करना अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.04.2004 की अवमानना है।

निर्णय दिनांक 12.04.2012 का दूसरा खण्ड यथावत इस प्रकार हैः–

'' अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में एक दावा संख्या 38/2003 (391/99) उनवानी सिराजुदीन बनाम जाफर अली, मोहम्मद रमजान, फैयाज, सीताराम के विरूद्व बाबत विवादित सम्पदा आवासीय के सम्बन्ध में स्थाई निषेद्याज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित किये जाने एवं वाद विचारित सम्पदा का विधिवत स्वामी, मालिक काबिज घोषित करने का क्रम संख्या– 2 सीकर द्वारा दिनांक 18. 05.2005 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट का विवादित भूखण्ड से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होने से अपीलान्ट को अपील लाने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त का भी अवलोकन किया लेकिन अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अपना हक व अधिकार प्रमाणित नहीं किया गया है इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त इस प्रकरण में इस स्टेज पर लागू नहीं होते है। अतः आज्ञा है कि –

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारिज की जाती है एवं आयुक्त नगर परिषद, सीकर द्वारा जारी आवंटन पत्र व शाश्वत लीज दिनांक 23.11.2011 यथावत रखी जाती है।''

उपरोक्त तथ्यों को विचारण में लेकर इस न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह स्पष्ट रूप से माननीय अपर जिला सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या –2 सीकर के आदेश की अवहेलना हुई है, क्योंकि माननीय अपर जिला सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या –2 सीकर ने विवादित आदेश दिनांक 18.05.2005 को स्थगित करके इसका क्रियान्वयन पर रोक (स्टे) लगायी हुई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील वाद लम्बित है तो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश को विचारण में लिया जाना अपरिपक्व एवं न्यायालय के आदेश की अवमानना है।

माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण से अपील, दी राजस्थान म्यूनिसिपल्टीज एक्ट 1959 के तहत, जिसकी धारा – 80(2)(ए) के अन्तर्गत लीज डीड, विधि अन्तर्गत जारी नहीं हुई है, इसका परीक्षण आपके निर्णय में उल्लेखित :–

(क) अनुबन्ध पत्र दिनांक 23.07.1992 अनुबन्धकर्त्ता विक्रेता फैयाज पुत्र अब्दुल गनी रंगरेज निवासी सीकर।

(ख) अनुबन्ध पत्र दिनांक 09.07.1984 जिसमें अनुबन्ध कर्त्ता सीताराम पुत्र स्व. भंवरा मीणा निवासी सीकर क्रेता फैयाज पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान कोटिया निवासी सीकर है, में कहीं पर भी नहीं किया गया है।

उपरोक्त अनुबन्ध पत्र में सीताराम मीणा को दिनांक 09.07.1984 को उक्त अनुबन्ध को निष्पादित करने का विधि अन्तर्गत अधिकार था, यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि सीताराम मीणा अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आराजी खसरा नम्बर 515/2 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1981 को बालूराम पुत्र भूराराम जाति मीणा निवासी सीकर को विक्रित की जा चुकी थी तथा रजिस्ट्री विक्रय पत्र के आधार पर विधि में बालूराम पुत्र भूराराम उक्त आराजी का खातेदार दिनांक 28.03.1981 को बन चुका था।

अतः उपरोक्त तथ्यों की प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार की जाकर न्याय प्रदान किया जावे तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2012 को निरस्त फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि माननीय न्यायालय को छल, कपट, साजिश, षड़यंत्र व भ्रमित करके आदेश दिनांक 12.04.2012 पारित करवाया है जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विशेष रूप से उत्तरदायी व जवाबदेह एवं दोषशील हैं, क्योंकि उन्होंने न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करवाया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को असल विक्रय पत्र रजिस्टर्ड जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है उसे देखकर न्यायालय को अवगत कराते कि सीताराम अनुबन्ध कर्त्ता के हस्ताक्षर इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1981 पर मौजुद है, जिसकी तुलना नंगी आंखो से विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1984 से कर ली है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या–2 सीकर ने जो निर्णय दिनांक 18.05.2006 को किया जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान को उसके आचरण– दोष के बारे में शिकायत की गयी, जो विचाराधीन है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या–2 सीकर ने अपने निर्णय में जो आधार लिये है कि इकरारनामा प्रदर्श पी–1 जो ओमप्रकाश ने सिराजुदीन को विवादित भूखण्ड आवासीय विक्रित किया, वह पंजीकृत नहीं है तथा उचित स्टाम्प पर लिखित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दूसरा बिन्दु अपने निर्णय में आधारित किया कि विक्रय में कड़ी(चैन) का अभाव है। यानि हनुमान खटीक मुख्तार आम पंजीकृत ने भूखण्ड ओमप्रकाश सैनी को अनुबन्ध पत्र के जरिये विक्रय किया तथा ओमप्रकाश सैनी ने सिराजुदीन को विक्रय अनुबन्ध पत्र के आधार पर विक्रित किया बताया गया है लेकिन हनुमान खटीक द्वारा ओमप्रकाश सैनी को जरिये विक्रय अनुबन्ध विवादित भूखण्ड बेचा, वह इकरारनामा न्यायालय में पेश नहीं हुआ। अप्रार्थी संख्या 3 रमजान ने नगर परिषद सीकर से विवादित भूखण्ड का पट्टा लिया, ऐसी अवधाराणा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या–2 सीकर ने अपने निर्णय में की गई है। दरम्याने मुकदमा कार्यवाही में कोई भी पक्ष विवादित सम्पदा का हस्तान्तरण करता है तो वह हस्तानतरण की धारा –52, ट्रांसफर प्रोपट्री एक्ट 1982 के तहत अवैध, प्रभावहीन एवं शुन्य है। इसके अलावा उस समय जब लीज–डीड दिनांक 28.11.2001 निष्पादित की गयी तब विवादित भूखण्ड के बाबत न्यायालय में प्रोसिडिंग चल रही थी तथा अस्थाई आदेश से अप्रार्थी संख्या –3 प्रतिबंधित था। माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाना अपेक्षित व आवश्यक है कि उन्होंने निर्णय में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में वाद संख्या 38/2003 (391/99) उनवानी सिराजुदीन बनाम जाफर अली, मोहम्मद रमजान, फैयाज, सीताराम के विरूद्व विधिवत स्वामी काबिज होने का किया गया, जिसका निस्तारण दिनांक 18. 05.2006 को विधि विरूद्व किया गया जिसकी अपील माननीय अपर जिला सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या –2 सीकर में लम्बित है, जिसकी आगामी तारीख पेशी 13.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.2012 वास्ते सुनवायी नियत है, जिसमें सीताराम के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है तथा फैयात को ड्राप कर दिया गया है तथा शेष जाफर अली व मोहम्मद रमजान के खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है। इन दोनों के द्वारा कोई जवाब दावा प्रेषित नहीं किया गया तथा जवाब दावा के साथ में अपना क्लेम करने के आधार के कोई दस्तावेज प्रेषित नहीं किये गये इस कारण प्रार्थी सिराजुदीन को उसके पक्ष में दस्तावेज प्रेषित के आधार पर तथा साक्षीगण के बयानों के अनुसार निर्णय दिया। अतः उपरोक्त तथ्यों की प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार की जाकर न्याय प्रदान किया जावे तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2012 को निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पुनर्विलोकन याचिकाकर्त्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह साबित होता हो कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2012 अप्रार्थी द्वारा छल, कपट, कूटरचना तथा गुमराह व भ्रमित करके पारित करवाया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पुनर्विलोकन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक : 21 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर